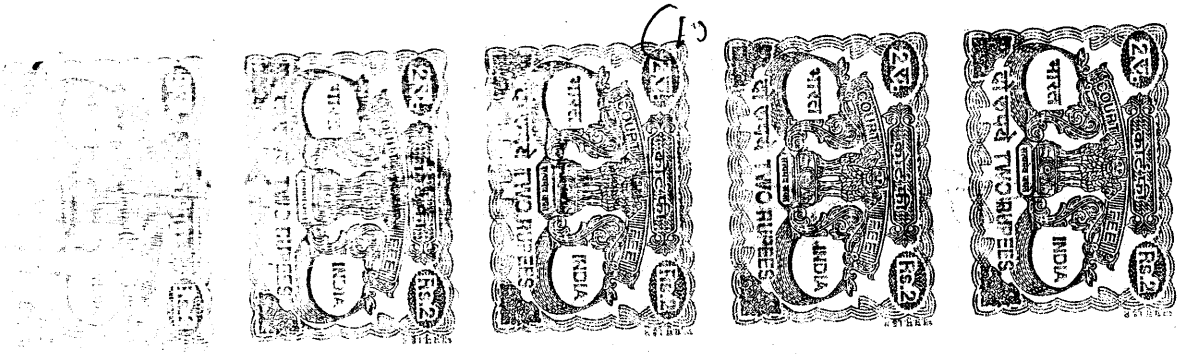

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण कमांक /2014 पुनरावलोकन रिव्यू 4262-II/14

हरेन्द्र सिंह पुत्र दीमान रामानुज प्रताप सिंह आयु 55 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम ननोरा जिला ललितपुर उ0प्र0 हाल निवासी चंदेरी जिला अशोकनगर.

आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती अरविन्द कुमारी पत्नी श्री राजेन्द्रसिंह निवासी ग्राम नुनवाहा तहसील व जिला दतिया (मृतक) द्वारा वारिसान–
   1. अमन प्रताप सिंह
   2. नीलमणि सिंह
   3. नीलम कुमारी डोलीराजा

   पुत्रगण व पुत्री श्री राजेन्द्रसिंह सभी निवासीगण ग्राम नुनवाहा तहसील व जिला दतिया.

2. दीमान रामानुज प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मणसिंह निवासी ग्राम ननोरा जिला ललितपुर उ0प्र0 हाल निवासी चंदेरी जिला अशोकनगर.

...अनावेदकगण

आवेदन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 7–7–14 पारित द्वारा श्री एम0के0सिंह, सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर प्र0क0 362–एक/08.

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. न्यायालय श्रीमान् ने प्र0क0 निग/362–एक/08 बउन्मान श्रीमती अरविन्द कुमारी

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 4262–दो/2014 पुनरावलोकन जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्त
16-2-17	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 363–एक/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–7–2014 पर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। उनके तर्को के कम में पुनरावलोकन आवेदन के तथ्यों एंव राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 363–एक/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–7–2014 के परिशीलन पर स्थिति यह है कि आवेदक की ओर से आदेश दिनांक 7–7–14 के पुनरावलोकन हेतु जो आधार बताये गये हैं – समुचित आधार प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नरावलोकन हेतु निम्न आधार बताये गये हैं :– 1. किसी प्रकार की प्रत्यक्ष दर्शी भूल जो स्पष्ट दिखाई देती हो एंव पारित आदेश को में फेर–बदल का प्रभाव रखती है। 2. ऐसा अभिलेख खोज लिया गचा है जो वह आदेश पारित करने के पूर्व वह प्रस्तुत नहीं कर सके थे, जिसके आधार पर पारित आदेश में फेर–बदल पर विचार किया जा सकता हो। 3. अन्य कोई तथ्य जो पारित आदेश पर प्रभावकर हो।	

परन्तु विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन में अथवा आवेदक के अभिभाषक तर्को के दौरान समाधान नहीं करा सके है कि राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 363–एक/ 2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–7–2014 किन आधारों पर फरे–बदल किया जा सके।

3/ उपरोक्त विवचेना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन सारहीन पाये जाने से अमान्य किया जाता है एंव राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 363–एक/ 2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7–7–2014 यथावत् रखा जाता हैं।

सदस्य